न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– **हेमराज गुर्जर (आरएएस)**

दायर दिनांक:– 7.03.2019

प्रकरण सख्या:–22/19
जी.सी.एम.एस. नं0 2019/00057

1 विनोद कुमार पिसरान रामस्वरूप जाति ब्राहम्ण निवासी घाटरी हाल सरकारी बाग के पास भुसाव
2 सुशील कुमार पिसरान रामस्वरूप जाति ब्राहम्ण निवासी घाटरी हाल सरकारी बाग के पास भुसा
3 आलोक कुमार पिसरान रामस्वरूप जाति ब्राहम्ण निवासी घाटरी हाल सरकारी बाग के पास भुसा
4 कमला पत्नि विनोद कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी घाटरी हाल सरकारी बाग के पास भुसावर
5 राधारानी पत्नि सुशील कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी घाटरी हाल सरकारी बाग के पास भुसावर
............व

बनाम

1हरगुन पुत्र दुल्ली जाति जाट निवासी घाटरी तह0 भुसावर जिला भरतपुर
............प्रतिवादी

12.राजास्थान सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर
............तीरतीवी

दावा विभाजन व हुक्म इम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53 व 18

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित— श्री आर0डी0 श
श्री शान्ति स्वरूप शर्मा — प्र

निर्णय–दिनांक 26.08.22

वादीगणगण द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ0 ख0 रकवा 1.8500 ,408 रकवा 0.5300 है0 बाके ग्राम घाटरी तहसील भुसावर में स्थित है जिससे ख0 407 वादीगण वाहिस्सा 7/8 भाग के एवं प्रतिवादीगण असल 1/8 हिस्सा का एवं ख0न वाहिस्सा 5/6 भाग के वादी एवं प्रतिवादी असल 1/6 भाग के खातेदार काशतकार एवं काबि है।

उपरोक्त अराजीयात को वादीगण एवं प्रतिवादी असल अरसे दराज से मनवटी तौर पर क चले आ रहे हैं। वादीगण को आ0 ख0 न0 407 एवं 408 में कुछ भाग जरिये वयनामा व

रकवा 0.5300 है0 वाके ग्राम घाटरी को हिस्सा विभाजन कर वादीगण को अलग –अलग न
अलग अलग तरमीम कराई जावें । तथा प्रतिवादीगण असल को जरिये स्थाई निषेधज्ञा से प
जावें ।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजि
की गई नोटिस की ताईद में प्रतिवादी असल व उनकी ओर से अधिवक्ता श्री शान्ति स्वरूप
वकालत व जबाब दावा पेश किया गया उभयपक्षकरान सहमत होने पर न्यायालय हाजा द्वर
2020 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई तथा तहसीलदार भुसावर को विभाजन प्रस्ताव भिज
बाबत लिखा गया।

तहसीलदार भुसावर द्वारा कुरेजात रिपोर्ट न्यायालय हाजा में उनके पत्रांक एलआ
दिनांक 24.9.21 से भिजवाई गई उक्त विभाजन प्रस्ताव प्रति प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा को
जाहिर नही गई

हमने बहस उभयपक्ष कारान अधिवक्ता की सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किय
में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड एवं विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार भुसावर तथा जबाव दावा वादी
जाना उचित समझते हैं।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया
विभाजन दिनांक 24.9.21 अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी असल को खातेदार दर्ज राज
जावें विभाजन प्रस्ताव निर्णय का माग रहेगा। डिक्री पर्चा जारी होवे ।

निर्णय आज दिनांक 26.08.22 को मेरे दारा लिखा लिखाया जाकर खुले न्यायालय

(हेमराज
उपखण्ड अ
भुसावर (भ